

XV-OR
145

नेमी टीप

(केवल ऐसी टीपों आदि के लिये ही उपयोग में लाया जाये जो स्थायी अभिलेख के लिए न हों)

(Handwritten)
24/2/22

विषय :- विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 का प्रदाय किये जाने के संबंध में।

---00---

विधि और विधायी कार्य विभाग का वार्षिक विभागीय प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 की एक मुद्रित प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रतिवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड किए जाने की कार्यवाही की जावे।

संलग्न : प्रतिवेदन की एक प्रति।

(Handwritten Signature)
2022

(बीना दीवान)

अनुभाग अधिकारी, बी-1

आई.टी.शाखा



मध्यप्रदेश शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2021-2022



जनवरी 2022

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2022



मध्यप्रदेश शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2021-2022



जनवरी 2022

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

विभागीय संरचना


विधि मंत्री

माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा

सचिवालय

| | | |
|------------------------|---|---|
| 1. प्रमुख सचिव | श्री गोपाल श्रीवास्तव | उच्च न्यायिक सेवा |
| 2. सचिव | श्री अरुण कुमार सिंह | उच्च न्यायिक सेवा |
| 3. सचिव | श्री उमेश पाण्डव | उच्च न्यायिक सेवा |
| 4. अतिरिक्त सचिव | 1. श्री अभय कुमार 2. श्री ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया 3. श्री प्रशांत कुमार 4. श्रीमति प्रीति सिंह 5. श्री नवीन कुमार शर्मा 6. श्री वैभव विकास शर्मा 7. श्री राजेश यादव | उच्च न्यायिक सेवा सेवानिवृत्त (संविदा नियुक्ति) सेवानिवृत्त (संविदा नियुक्ति) उच्च न्यायिक सेवा उच्च न्यायिक सेवा उच्च न्यायिक सेवा उच्च न्यायिक सेवा सचिवालयीन सेवा |
| 5. उप सचिव | --- | |
| 6. अवर सचिव | 1. श्री अनिल शर्मा 2. श्रीमती रजनी पंचौली 3. श्री आर. पी. गुप्ता | सचिवालयीन सेवा सचिवालयीन सेवा सचिवालयीन सेवा |
| 7. वरिष्ठ लेखा अधिकारी | श्री मो. मसूद अख्तर हाशमी | वित्त एवं लेखा सेवा |

Law and Legislative Affairs Department Set up



| | |
|----------------------|----|
| Staff Officer - | 1 |
| Personal Secretary - | 4 |
| Personal Asstt.- | 12 |
| Steno Typist- | 10 |
| Legal Assistant- | 3 |
| Chief Librarian- | 1 |
| Librarian- | 1 |
| Asstt.Librarian- | 3 |
| Drivers : | 09 |
| Class-IV : | 77 |

विधि विभाग नियमावली के अनुसार विधि विभाग का कार्य तीन भागों में अर्थात् 'अ', 'ब' तथा 'स' में बंटा हुआ है :-

भाग-अ

इस भाग में मुख्यतः विधायी प्रारूपण का कार्य होता है :-

प्रारूपण शाखा:- इस शाखा में विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का परिमार्जन अंग्रेजी में करना, विधान सभा में पारित विधेयकों को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करना तथा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का परिमार्जन करना तथा प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

विधीक्षा शाखा (अंग्रेजी) :- इस शाखा में शासन के विभागों से प्राप्त नियमों, विनियमों, कनिष्ठ विधियों, आदेशों अधिसूचनाओं आदि अधीनस्थ विधायन के अंग्रेजी प्रारूपों का परिमार्जन किया जाता है।

भाग-ब

इस भाग में न्याय प्रशासन से संबंधित कार्य होता है:-

उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतिगण को छोड़कर रजिस्ट्री में पदस्थ अधिकारियों/ कनिष्ठ अधिकारियों तथा न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, न्यायालयों की स्थापना तथा शासकीय अधिकारियों एवं विशेष अधिवक्ताओं के पदों पर नियुक्ति का कार्य इस शाखा द्वारा किया जाता है। यह शाखा मध्यप्रदेश न्यायस्थान अधिकरण तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की शासकीय शाखा के रूप में कार्य करती है।

भाग-स (1)

इस भाग में मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रस्तुत प्रकरणों के अभियोजन एवं प्रतिरक्षण का कार्य होता है। इस भाग में बंदियों की दया याचिका, समय पूर्व मुक्ति प्रकरणों की वापसी एवं शासकीय सेवकों के विरुद्ध अभियोजन अस्वीकृति पर अभिमत देने का कार्य भी किया जाता है।

सामान्यतः उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से महाधिवक्ता सहित विधि अधिकारीगण पैरवी करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में तीन स्टेंडिंग कौंसिल राज्य के लिये नियुक्त है तथा विभिन्न कनिष्ठ एवं वरिष्ठ पैनल में नियुक्त अधिवक्ताओं से भी पैरवी कराई जाती है। नई दिल्ली में इस विभाग का उप कार्यालय स्थापित किया गया है, जो प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करता है।

भाग-स (2)

परामर्श शाखा.— इस शाखा द्वारा विभिन्न विभागों से विधिक परामर्श हेतु प्राप्त प्रकरणों में अभिमत देने का कार्य किया जाता है. उप सचिव स्तर से सचिव स्तर तक प्रकरण का परीक्षण किया जाकर, प्रमुख विधि परामर्शी स्तर पर अभिमत दिया जाता है।

विभाग के अधीन सेवाओं के नाम

1. मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा
2. राज्य विधिक सेवा,
3. विभाग के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा,

विधि विभाग के अधीन कार्यरत अधिकरण एवं प्राधिकरण

1. मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
2. मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण,

विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम

1. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958
2. न्यायालय फीस अधिनियम, 1870
3. वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887
4. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
5. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
6. हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956
7. हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956
8. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
9. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
10. पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936
11. विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869
12. मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939

13. संपरिवर्ती विवाह विघटन अधिनियम, 1866
14. भारतीय किश्चियन विवाह अधिनियम, 1872
15. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
16. सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
17. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
18. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932
19. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963
20. प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920
21. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882
22. शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913
23. महाप्रशासक अधिनियम, 1963
24. भारतीय सार्व अधिनियम, 1872
25. सार्व अधिनियम, 1882
26. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
27. सार्वजनिक सनातन के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा राज्य विधिक सार्व अधिनियम, 1976
28. अधिवक्ता अधिनियम, 1961
29. नोटरी अधिनियम, 1952
30. न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971
31. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
32. दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1932
33. माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996
34. परिसीमा अधिनियम, 1963
35. मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983
36. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
37. मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982
38. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ को अपील अधिनियम, 2005
39. मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण अधिनियम, 2015
40. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008

अध्याय-दो

बजट अनुभाग

वित्त वर्ष 2021-22 में विभाग को मांग संख्या 29-विधि और विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार राशि स्वीकृत है:- (आंकड़े हजार में)

| संक्षिप्त विवरण (1) | बजट अनुमान वर्ष 2021-2022 | | |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | मतदेय (2) | भारित (3) | योग (4) |
| एक- राजस्व अनुभाग | | | |
| 2014 न्याय प्रशासन | | | |
| (102) उच्च न्यायालय | 18,74,27 | 1,84,64,63 | 2,03,38,90 |
| (103) विशेष न्यायालय | 42,27,73 | 0 | 42,27,73 |
| (105) सिविल और सत्र न्यायालय (मतदेय) | 11,88,02,59 | 1 | 11,88,02,60 |
| (114) विधि सलाहकार और परामर्शदाता (मतदेय) | 47,50,18 | 0 | 47,50,18 |
| (800) अन्य व्यय | 75,29,58 | 0 | 75,29,58 |
| योग-लेखाशीर्ष 2014 | 13,71,84,35 | 1,84,64,64 | 15,56,48,99 |
| 2015-निर्वाचन | | | |
| (102) निर्वाचन अधिकारी | 49,68,03 | 0 | 49,68,03 |
| (103) निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण | 77,28,00 | 0 | 77,28,00 |
| (105)संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार | 5,22,15 | 0 | 5,22,15 |
| (106) राज्य संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिये प्रभार | 14,81,12 | 20,00 | 15,01,12 |
| (108)मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना | 5,00,05 | 0 | 5,00,05 |
| योग लेखाशीर्ष 2015 | 1,51,99,35 | 20,00 | 1,52,19,35 |
| 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं | | | |
| (090) सचिवालय | 27,05,69 | 0 | 27,05,69 |
| (091) संलग्न कार्यालय | 6,13,40 | 0 | 6,13,40 |
| (800) अन्य व्यय | 1,67,45 | 0 | 1,67,45 |
| योग-लेखाशीर्ष 2052 | 34,86,54 | 0 | 34,86,54 |
| 2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कार्यक्रम | | | |
| (01)- अनुसूचित जातियो का कल्याण | | | |
| (800)-अन्य | 43,47,00 | 0 | 43,47,00 |
| योग-लेखाशीर्ष 2225 | 43,47,00 | 0 | 43,47,00 |
| 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | | | |
| (60) अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम | | | |
| (200) अन्य कार्यक्रम | 51,12,42 | 0 | 51,12,42 |
| योग लेखाशीर्ष 2235(मतदेय) | 51,12,42 | 0 | 51,12,42 |
| योग एक राजस्व अनुभाग | 16,53,29,66 | 1,84,84,64 | 18,38,14,30 |

| | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| दो-पूँजी अनुभाग | | | |
| 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय | | | |
| 01-कार्यालय भवन | | | |
| 051-निर्माण | 1,72,50,00 | 0 | 1,72,50,00 |
| योग लेखाशीर्ष 4059 | 1,72,50,00 | 0 | 1,72,50,00 |
| 4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय | | | |
| 01-सरकारी रिहायशी भवन | | | |
| 106-साधारण पुल आवास | 65,00,00 | 0 | 65,00,00 |
| योग लेखाशीर्ष 4216 | 65,00,00 | 0 | 65,00,00 |
| 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि | | | |
| (202)-मोटर वाहन का कय करने के लिए अग्रिम | 1 | 0 | 1 |
| योग लेखा शीर्ष-7610 | 1 | 0 | 1 |
| योग दो-पूँजी अनुभाग | 2,37,50,01 | 0 | 2,37,50,01 |
| योग मांग संख्या-29-न्याय प्रशासन | 18,90,79,67 | 1,84,84,64 | 20,75,64,31 |

वित्त वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान मे निम्नानुसार राशि स्वीकृत है:-
(आंकड़े
रूपये में)

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2014-न्याय प्रशासन | | | |
| (102) उच्च न्यायालय | 0 | 1,00,00,000 | 1,00,00,000 |
| (105) सिविल और सेशन न्यायालय | 1,02,00,000 | 0 | 1,02,00,000 |
| (800) अन्य व्यय | 20,00,000 | 0 | 20,00,000 |
| 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं | | | |
| 090-सचिवालय | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 |
| 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | | | |
| 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम | 3,00,00,000 | 0 | 3,00,00,000 |
| योग मांग संख्या-29-न्याय प्रशासन | 4,23,00,000 | 1,00,00,000 | 5,23,00,000 |

वित्त वर्ष 2021-22 हेतु अभिभाषक संघ के पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें कय करने हेतु रु. 8,00,000/- का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसमें 31 दिसम्बर 2021 तक अभिभाषक संघों को निम्नानुसार अनुदान आदेश जारी किये गये :-

| कं. | अभिभाषक संघ का नाम | राशि |
|-----|--------------------------------|----------|
| 1. | अभिभाषक संघ सिरमौर जिला रीवा | 50,000/- |
| 2. | अभिभाषक संघ डबरा जिला ग्वालियर | 50,000/- |

अध्याय-तीन
कार्य एवं उपलब्धियाँ
न्यायिक शाखा (एक)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के लिये उच्च न्यायालय, जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय, जबलपुर की खण्डपीठ, ग्वालियर तथा इंदौर में है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधिपतिगण के 53 पद स्वीकृत है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार राज्य में स्थापित सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण करने की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। राज्य में जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय के अतिरिक्त दण्ड न्यायालयों के रूप में सेशन न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय, द्वितीय श्रेणी के न्यायालय कार्यरत है। विशेष अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों का निराकरण किये जाने के लिए विशेष न्यायालय जैसे:- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, भारतीय विद्युत अधिनियम, म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का विचारण किये जाने के लिए विशेष सेशन न्यायाधीश के न्यायालय स्थापित किए गए हैं। रेल अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों का निपटारा किये जाने के लिए विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालय एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत स्थापित न्यायिक मजिस्ट्रेट के विशेष न्यायालय पृथक से स्थापित हैं। ऐसे न्यायालयों के अतिरिक्त कुछ अन्य न्यायालय भी विशेष मामलों के निराकरण के लिए राज्य में कार्यरत हैं।

वर्ष 2021 की न्यायिक शाखा- (एक) की जानकारी निम्नानुसार हैं:-

उल्लेखनीय गतिविधिया

1. राज्य के चयनित जिला जेलों एवं उप-जेलों में विडियों कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित करने की कार्यवाही की गई है।
2. केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत न्यायिक अधोसंरचना के सुदृढीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालयों के भवनों हेतु रूपये 76,47,06,006/- की नवीन/पुनरीक्षित स्वीकृतियां जारी की गई है तथा न्यायाधीशों के आवासगृहों के निर्माण हेतु रूपये 73,07,000/- को नवीन/पुनरीक्षित स्वीकृतियां जारी की गई है।
3. उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण के आवासगृहों के अनुरक्षण हेतु 1,14,50,280/- की प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालयों न्यायिक अधिकारियों के आवासगृहों के अनुरक्षण हेतु रूपये 1,74,94,438/- की प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गईं।

आगामी वर्ष की कार्य योजना

1. एन.सी.एम.एस. द्वारा सुझायी गई पद्धति अनुसार 559 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं 375 जिला न्यायाधीश (प्रवेश-स्तर) के पदों का सृजन मय स्टाफ के किया जाना।
2. वर्तमान में निर्माणधीन 387 न्यायालय कक्षों एवं 133 आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाना तथा 323 अतिरिक्त न्यायालय कक्षों का निर्माण एवं 334 नवीन आवासगृहों का निर्माण किया जाना।

न्यायिक शाखा (दो)

न्यायिक शाखा-(दो) की जानकारी निम्नानुसार है:-

न्यायिक शाखा-दो द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में स्थाई अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता तथा मध्यप्रदेश राज्य में सरकारी काउन्सेल के रूप में महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय/उप शासकीय अभिभाषक की नियुक्ति की जाती है। प्रदेश में नोटरी नियुक्ति/नोटरी लाइसेंस नवीनीकरण तथा दण्डप्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24(3) के अंतर्गत लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजकों की नियुक्ति तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24(8) के अंतर्गत अधिवक्ताओं की नियुक्ति विशेष लोक अभियोजक के रूप में एवं विशेष न्यायालय में पैरवी करने हेतु विशेष लोक अभियोजक तथा विशेष न्यायालयों के लिए विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता को नियुक्ति किये जाने संबंधी कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अधिवक्ता पंचायत में की गई घोषणाओं से संबंधी कार्य एवं मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018 के क्रियान्वयन से संबंधी कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

- * मध्यप्रदेश में महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालयों हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता-14, उपमहाधिवक्ता-12, शासकीय अधिवक्ता-57, उपशासकीय अधिवक्ता-04 तथा 642 पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई।
- * मध्यप्रदेश में कुल 2500 नोटरी के पद स्वीकृत हैं। जिसमें से वर्तमान में लगभग 2300 पद भरे हुए हैं। नोटरी पद पर नियुक्ति एक निरन्तर प्रक्रिया है, जो कि नवीन स्वीकृत/आवंटित पदों के विरुद्ध एवं नोटरी अधिवक्ता की मृत्यु/त्याग-पत्र आदि के कारण रिक्त हुए पदों के विरुद्ध नियमित चलती रहती है।

- * त्वरित न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिये लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनन्य विशेष 25 न्यायालयों में 28 विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति तथा महिलाओं से अन्य अपराधों की जांच/विचारण हेतु विनिर्दिष्ट अनन्य विशेष 28 न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गई तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की गई। विशेष न्यायालय (अत्याचार निवारण) में 46 विशेष लोक अभियोजक/37 विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्रम तथा उपभोक्ता फोरम न्यायालय में 13 पैनल अधिवक्ता, सत्र/आपराधिक प्रकरणों में 7 विशेष अधिवक्ताओं की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की गई।

मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018 के सशक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु

एरियर्स कमेटी-कम-केस मैनेजमेंट कमेटी-कमेटी फॉर स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम तथा मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय सशक्त समिति की समय-समय पर आयोजित बैठकों में प्राप्त दिशानिर्देश के अनुपालन में नीति के सशक्त क्रियान्वयन के संबंध में शासन के समस्त विभागों/जिलों में शिकायत निवारण समिति, विभाग स्तरीय सशक्त समिति तथा जिला कार्यालयों में जिला मॉनिटरिंग समितियों का अनिवार्यतः गठन करने एवं मुकदमा नीति की विभिन्न कण्डिकाओं के अनुरूप समितियों की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं तथा न्यायालयीन आदेशों का संवैधानिक रूप से पालन करने हेतु कार्यपालिकाओं को अधिसूचित किया गया जिससे अनावश्यक रूप से बढ़ रहे मामलो में अंकुश लगाया जा सके और न्यायालय तथा पक्षकारों का मूल्यवान समय बचाया जा सके।

मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण स्कीम, 2012 के क्रियान्वयन हेतु-

1. मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के प्रस्ताव अनुसार कुल 346 मृत अधिवक्ताओं के आश्रितों को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि के मान से कुल रुपये 3,46,00,000/- (तीन करोड़ छियालीस लाख मात्र) के आदेश जारी किए गये।
2. गम्भीर रूप से बीमार अधिवक्ताओं को एकमुश्त एक करोड़ रुपये की सहायता राशि अधिवक्ता परिषद के खाते में जमा की गई।
3. मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के प्रस्ताव अनुसार कुल 1483 नवनामंकित अधिवक्ताओं/नवीन पंजीकृत अधिवक्ताओं को रुपये 12,000/- की राशि प्रति अधिवक्ता के मान से कुल 1,77,96,000 (एक करोड़ सतत्तर लाख छियानबे हजार केवल) के आदेश जारी किये गये।

प्रारूपण शाखा

अध्याय-एक

भाग -अ

इस भाग में मुख्यतः प्रारूपण शाखा का कार्य होता है :-

प्रारूपण शाखा- इस शाखा में विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का परिमार्जन अंग्रेजी में करना, विधान सभा में पारित विधेयकों को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करना तथा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेश परिमार्जन करना तथा प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

अध्याय-तीन

कार्य एवं उपलब्धियां

इस शाखा में विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का परिमार्जन करना, विधान सभा में पारित विधेयकों को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करना तथा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किये जाने वाले अध्यादेश का परिमार्जन करना तथा उन्हें प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

2. प्रारूपण शाखा में निम्नानुसार महत्वपूर्ण कार्य भी किया जाता है :-

- (1) संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित होने पर उसके अनुसमर्थन का संकल्प राज्य विधान सभा में पारित कराना।
 - (2) विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल की अनुमति हेतु भेजने का कार्य।
 - (3) राज्य विधेयकों, अधिनियमों एवं अध्यादेशों का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन।
 - (4) विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजने के लिए भारत सरकार से पत्र व्यवहार।
 - (5) राजपत्र में छपने वाले अधिनियमों एवं अध्यादेशों के त्रुटिपूर्ण पाठ का शुद्धि - पत्र बनाने का कार्य।
 - (6) केन्द्रीय अधिनियमों एवं अध्यादेशों का मध्यप्रदेश राजपत्र में पुनःप्रकाशन का कार्य।
3. 31 दिसम्बर, 2021 तक विभिन्न विभागों के निम्न विधेयकों एवं अध्यादेश के प्रारूपों का परीक्षण किया गया एवं उनके परिमार्जित प्रारूप प्रशासकीय विभागों को उपलब्ध कराये गये -

| | | |
|----------|---|----|
| अध्यादेश | - | 06 |
| विधेयक | - | 40 |

4. वर्ष 2021 में कुल 15 अध्यादेश प्रख्यापित किये गये।
5. वर्ष 2021 में कुल 27 विधेयक विधान सभा में प्रशासकीय विभागों द्वारा पुरःस्थापित किए गए तथा 31 दिसम्बर, 2021 तक 27 अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।
6. वर्ष 2021 तक की स्थिति में निम्नलिखित विधेयक राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु भारत सरकार में लंबित है:-

- (1) मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 (क्रमांक 3 सन् 2010)
- (2) मध्यप्रदेश दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019)
- (3) मध्यप्रदेश दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 20 सन् 2021)

पुस्तकालय शाखा

म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग का पुस्तकालय विधि पुस्तकों के क्षेत्र में राज्य का एक बड़ा विभागीय पुस्तकालय है, पुस्तकालय में लगभग एक लाख पुस्तकें, पत्रिका तथा राजपत्रों का समावेश है। पुस्तकालय में विशेषतः मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश, इन्दौर, ग्वालियर, होलकर राज्य, सी.पी. एण्ड बरार तथा भोपाल रियासत के पुराने साहित्य का भी संकलन उपलब्ध है।

पुस्तकालय शाखा द्वारा विधि परामर्शी के कार्यों हेतु व अन्य नस्तियों के निराकरण हेतु पुस्तकों का आदान-प्रदान किया जाता है। विभाग के अलावा अन्य विभागों, अधिकरण आदि को सेवा प्रदाय की जाती है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश राज्य के तथा केन्द्र के मूल अधिनियमों तथा नियमों पर समय-समय पर किये गये संशोधन यथा-स्थान लगया जाने का कार्य मुख्यरूप से होता है। विभाग के पुस्तकालय को ई-ग्रंथालय बनाए जाने हेतु पुस्तकों की प्रविष्टियां (NIC) से प्राप्त सॉफ्टवेयर में की जा रही है।

पुस्तकालय को अद्यतन बनाने के लिए लगभग 16 प्रकार की विधि पत्रिकाएं क्रय की जा रही हैं तथा अद्यतन विधि पुस्तकें समय-समय पर चयन समिति के माध्यम से क्रय की जाती हैं।

अभियोजन शाखा

लोकायुक्त/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/एस.टी.एफ. एवं सी.बी.आई. तथा जिला दण्डाधिकारियों से प्राप्त प्रकरण सा.प्र.वि. के परिपत्र क्रमांक एफ-15-1/2014/1/10 दिनांक 05.09.2014 एवं 21.04.2017 के अनुक्रम में अभियोजन स्वीकृति से संबंधित कुल 1060 प्रकरण प्राप्त हुए, जो अवलोकन एवं संबंधित विभागों से होने के कारण प्रशासकीय विभागों को भेजे गए तथा सा.प्र.वि. के परिपत्र दिनांक 05.09.2014 की कण्डिका-4 के अनुक्रम में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रकरणों में अभिमत दिया गया।

प्रशासकीय विभागों से अभियोजन स्वीकृति जारी कर, अभियोजन स्वीकृति के आदेश इस विभाग को सूचनार्थ प्रेषित किये गये हैं, जिस पर आवश्यक कार्यवाही कर नस्तीबद्ध किये गये हैं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत प्रकरण प्रत्याहरण से संबंधित 370 प्रकरण अभिमत हेतु प्राप्त हुए, सभी प्रकरणों में अभिमत दिया गया तथा प्रकरण वापसी से संबंधित अन्य 50 पत्र प्राप्त हुए, जिनमें सभी में आवश्यक कार्यवाही की गई।

जेल मेन्यूअल के नियम 361-362 एवं 775 के अंतर्गत समयपूर्व मुक्ति हेतु कुल 12 प्रकरण अभिमत हेतु प्राप्त हुए, सभी प्रकरणों में अभिमत दिया गया है तथा 50 अन्य पत्र प्राप्त हुए, जिनमें सभी में आवश्यक कार्यवाही की गई है।

इस प्रकार अभियोजन शाखा में कुल 1542 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1539 प्रकरण निराकृत किए गए।

मत शाखा

मत शाखा की जानकारी निम्नानुसार है :-

मत शाखा द्वारा विभिन्न विभागों से विधिक परामर्श हेतु प्राप्त प्रकरणों में मत देने का कार्य किया जाता है। प्रमुख सचिव, सचिव, अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों पर परीक्षण किया जाकर प्रमुख सचिव (विधि परामर्शी) स्तर पर अंतिम मत दिया जाता है। परिमार्जन हेतु विधिक्षा शाखा से प्राप्त नस्तियों में भी आवश्यक विधिक मत शाखा द्वारा यथा निर्देशित प्रदान किये जाते हैं।

मत शाखा में शासन के विभिन्न विभागों, मंत्रालय से 1 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक 259 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिसमें से 256 प्रकरणों में अभिमत दिया जाकर संबंधित विभागों को, मंत्रालय को भेजे गये हैं, तथा शेष 03 प्रकरणों में अभिमत दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अनुवाद शाखा (मुख्य विधायन)

मध्यप्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयकों, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों के हिन्दी अनुवाद तैयार करना तथा उनके शुद्धि-पत्र बनाने आदि का कार्य इस शाखा द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को प्रस्तुत दया याचिकाओं और मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत अशासकीय विधेयकों के अंग्रेजी पाठ तैयार करने का कार्य भी इस शाखा को सौंपा गया है।

1. अनुवाद शाखा में लगभग 73 विधेयक/अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ मूल रूप से तथा कतिपय संशोधनों सहित प्राप्त हुए जिन पर कार्य किया गया किन्तु 31 दिसम्बर 2021 तक विभिन्न विभागों के 15 अध्यादेश एवं 40 विधेयकों के अंग्रेजी पाठ के प्रारूपों के हिन्दी अनुवाद को अंतिम रूप दिया गया एवं उनके परिमार्जित प्रारूप प्रशासकीय विभागों को उपलब्ध कराए गए।
2. वर्ष 2021 तक कुल 15 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए।
3. वर्ष 2021 में कुल 27 विधेयक विधान सभा में प्रशासकीय विभागों द्वारा पुरःस्थापित किए गए तथा 31 दिसम्बर 2021 तक 27 अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।
4. वर्ष 2021 तक कि स्थिति में निम्नलिखित विधेयक राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु भारत सरकार में लंबित हैं :-

- (1) मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 (क्रमांक 3 सन् 2010)
- (2) मध्यप्रदेश दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019)
- (3) मध्यप्रदेश दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 20 सन् 2021)

हिन्दी विधायी समिति शाखा

मध्यप्रदेश शासन हिन्दी विधायी समिति शाखा को, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मध्यप्रदेश के मूलतः अंग्रेजी में पारित अधिनियमों तथा मध्यप्रदेश की घटक इकाइयों में प्रवृत्त अधिनियमों तथा मध्यप्रदेश पर विस्तारित तथा मध्यप्रदेश द्वारा संशोधित/समायोजित केन्द्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ तैयार करने और उनका राजपत्र में पुनः प्रकाशन कराने का कार्य सौंपा गया है। हिन्दी विधायी समिति शाखा के द्वारा केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद का मध्यप्रदेश के राजपत्र में पुनः प्रकाशन कराया जाता है।

विधीक्षा शाखा (हिन्दी) अनुवाद

इस शाखा में नियमों, विनियमों, अधिनियमों, उपविधियों, आदेशों तथा भर्ती नियमों की अधिसूचनाओं के हिन्दी परिमार्जन/अनुवाद का कार्य किया जाता है।

01 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक विभिन्न विभागों से प्राप्त कुल वारस्तविक नस्तियों की संख्या 80 है। उक्त नियमों, विनियमों, अधिनियमों, उपविधियों, आदेशों तथा भर्ती नियमों की अधिसूचनाओं का परीक्षण कर उनका परिमार्जित हिन्दी पाठ अनुवाद सहित उपलब्ध कराया गया है।

विधीक्षा शाखा (अंग्रेजी)

अध्याय—एक

भाग—अ

इस शाखा में शासन के विभागों से प्राप्त भर्ती नियमों, विनियमों, उपविधियों, आदेशों एवं अधिसूचनाओं आदि अधीनस्थ विधायन के अंग्रेजी प्रारूपों का परिमार्जन किया जाता है।

अध्याय—तीन

कार्य एवं उपलब्धियां

इस शाखा में मुख्य रूप से प्रत्यायोजित विधान से संबंधित कार्य होता है। इसके अंतर्गत प्रशासकीय विभाग से प्राप्त नियमों, विनियमों, आदेशों, उपविधियों एवं अधिसूचनाओं के प्रारूपों के अंग्रेजी पाठ का परिमार्जन किया जाता है तथा परिमार्जन पश्चात् नस्ती हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ सहित प्रशासकीय विभाग को वापस की जाती है।

वर्ष 2021 में कुल 365 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें से 363 प्रकरणों में अंग्रेजी प्रारूपों का परिमार्जन कर उनके हिन्दी अनुवाद के साथ नस्ती संबंधित प्रशासकीय विभागों को वापस की जा चुकी है तथा 2 प्रकरणों में परिमार्जन एवं अनुवाद का कार्य चल रहा है।

स्थापना शाखा

1. मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम के अनुसार इक्कीस-विधि और विधायी कार्य विभाग में म.प्र. राज्य विधिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्त) नियम 2010, म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग (भर्ती तथा सेवा शर्त) नियम 2010 तथा म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1978 में शामिल सेवाएं, संवर्ग पद का प्रशासन किया जाता है। उपरोक्त पदों पर नियुक्तियाँ, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश स्वीकृति, अवकाश नगदीकरण, प्रतिनियुक्तियाँ, पदोन्नतियाँ, समयमान, भविष्य निधियों, प्रशिक्षण, दण्ड तथा अभ्यावेदन इत्यादि विषयों से संबंधित कार्यवाही की जाती है।
2. फाइलों की आवक-जावक को मैनुअल रजिस्टर पंजी से पूर्णतः हटाते हुए पेपर लेस आवक-जावक को ऑनलाईन कर फाइल ट्रेकिंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है।
3. विभाग में कर्मचारियों को कम्प्यूटर उपयोग के प्रशिक्षण का तथा त्वरित गति एवं कार्य सुविधा हेतु प्रत्येक कर्मचारियों की पृथक-पृथक कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये है।
4. वर्तमान में विभाग में समस्त कार्य एफ.टी.एम.एस. एवं ई-ऑफिस के सतत् संचालन कम्प्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है, जिस हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर, प्रिंटर आवंटित है।
5. शासकीय सेवकों हेतु आकस्मिक अवकाश/ऐच्छिक/अवकाश एवं अन्य अवकाश के आवेदन के आवेदन तथा उनकी रिपोर्टिंग, स्वीकृत एवं लेखांकन को पूर्णतः पेपर लेस (कम्प्यूटराईज) किया गया है।
6. विभाग द्वारा पेपरलेस आफिस प्रणाली (फाइल ट्रेकिंग मैनेजमेंट सिस्टम) का निर्माण, लागू किया जाना एवं सतत् अद्यतन किया जाना।
7. NIC ई-ऑफिस द्वारा अन्य विभागों से प्राप्त फाइलों को प्राप्त कर, कार्यवाही कर संबंधित विभागों को ई-ऑफिस के माध्यम से प्रेषित किया जाना।
8. विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के शासकीय ई-मेल खातों का निर्माण एवं शासकीय कार्य हेतु उपयोग किया जाता है।
9. विभाग की नवीन वेबसाइट- को GIGW & WCAG 2.0 दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण कराया गया।
10. माध्यस्थम अधिकरण म.प्र. के लिए GIGW & WCAG 2.0 दिशा निर्देशों के अनुसार नवीन वेबसाइट का निर्माण कराया गया।
11. विभाग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो की स्थापना एवं V.C. बैठकों का आयोजन किया जाता है।

12. विभाग से इस वित्तीय वर्ष में सेवा निवृत्त 9 शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण संभागीय पेंशन भुगतान अधिकारी को भेजे गये जिसमें से 6 शासकीय सेवकों के पेंशन प्राधिकृत आदेश जारी हो चुके हैं और 3 प्रकरण विचाराधीन हैं।
13. वर्ष 2020 में अधिकारियों/कर्मचारियों के 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा उपरांत 30 अधिकारियों/कर्मचारियों को उच्चतर समयमान प्रदान किया गया। उसी क्रम में वर्ष 2021 में भी 34 अधिकारियों/कर्मचारियों को उच्चतर समयमान प्रदान किया गया।
14. निःशक्तजन के आरक्षित 2 पदों पर नियुक्ति की गई।
 1. एक दृष्टि बाधित 2. एक श्रवण बाधित।
15. विभाग में 02 शासकीय सेवकों को कोविड-19 बीमारी से मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों में से पुत्र/पुत्री को समयसीमा के अंदर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। साथ ही 02 अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के असमयिक मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों में से पुत्र/पुत्री 02 को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है।
16. विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के उपरांत 37 शासकीय कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त कर नियमित पद पर पदस्थापना की गई है।
17. वर्ष 2021 में विभाग द्वारा देश के विभिन्न विधि कालेजों के 35 विद्यार्थियों को इंटर्नशिप करायी गई है।
18. "मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण निधि-2012" के अंतर्गत गंभीर बीमारी से पीड़ित अधिवक्ताओं को इलाज हेतु अनुदान राशि रु. 1.00 करोड़, मृत अधिवक्ता के आश्रितों को सहायता अनुदान राशि 1.70 करोड़, नवीन नियुक्त अधिवक्ताओं को सहायता अनुदान 1,77,96,000=00 इस प्रकार कुल राशि रूपये 4,47,96,000=00 का ई-भुगतान किया गया है।

याचिका शाखा

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर में राज्य शासन द्वारा या शासन के विरुद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से प्रतिरक्षण करने की कार्यवाही की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य शासन के विरुद्ध पारित निर्णयों के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका के संबंध में समुचित कार्यवाही तथा ऐसी कार्यवाही करने के संबंध में प्रशासकीय विभाग की ओर से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर मत दिया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय में राज्य शासन की ओर से तथा राज्य शासन के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी करना तथा उच्चतम न्यायालय में फीस आदि का भुगतान करने की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

| स. कं | प्रकरणों का विवरण | निपटाये गये प्रकरण |
|-------|--|--------------------------|
| 1. | माननीय उच्चतम न्यायालय में की गई कार्यवाही का विवरण: क-विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई जिनकी संख्या ख-विशेष अनुमत याचिका में प्रतिरक्षण संख्या | 157 172 |
| 2. | माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर में की गई कार्यवाही: क- अवमानना प्रकरणों में प्रतिरक्षण किये जाने हेतु अधिवक्ता नियुक्त किये गये संख्या ख- जिन प्रकरणों में पुनर्विलोकन/रिट अपील हेतु आदेश जारी किये गये संख्या ग- जिन प्रकरणों में विधि सम्मत अभिमत दिये जाने के उपरांत नस्तियाँ लौटाई गई संख्या घ- जिन प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये (याचिकाएँ) संख्या | 170 178 20 5740 |
| 3. | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में प्रतिरक्षण हेतु प्रशासकीय विभागों से प्राप्त प्रकरणों की संख्या: क- जिन प्रकरणों में अधिवक्ताओं की नियुक्ति आदेश जारी किये गये संख्या ख- केवियट दायर करने के संबंध में महाधिवक्ता मध्यप्रदेश को निर्देश जारी किये संख्या | 23 03 |
| 4. | केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रस्तुत प्रकरण: क- राज्य सरकार की ओर से प्रभावी प्रतिरक्षण किये जाने हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति आदेश जारी किये गये, संख्या | 10 |
| 5. | शासकीय अधिवक्ताओं को फीस का भुगतान: क- समय-समय पर प्रकरण में अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान की कार्यवाही की गई प्रकरणों की संख्या | 37 |
| 6. | विविध एवं अन्य प्रकरणों की संख्या | 388 |
| 7. | सूचनार्थ पत्रों की संख्या | 1134 |
| | कुल योग | 8032 |

सभी प्रकरणों का निराकरण किया गया।

सिविल शाखा

सिविल शाखा में मुख्य रूप से विभिन्न न्यायालयों/अधिकरण में लंबित सिविल मामलों में अपील/रिवीजन/याचिका पेश की जाती है तथा राज्य के विरुद्ध लंबित मामलों में प्रतिरक्षण के आदेश जारी किये जाते हैं।

कुल प्रकरण - 1375

निपटायें गये - 1375

शाखा में प्राप्त लंबित प्रकरण - निल

| क. | कार्य का संक्षिप्त विवरण | निराकृत प्रकरणों/नस्तियों की संख्या |
|----|---|-------------------------------------|
| 1. | माननीय उच्चतम न्यायालय में की गई कार्यवाही का विवरण : क- विशेष अनुमति याचिका प्रकरण में दायर करने की अनुमति आदेश जारी किये गये। ख- विशेष अनुमति याचिका प्रकरण में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये। ग- प्रस्तुत एस0एल0पी0 में वकालतनामा जारी किये गये। | 10 79 104 |
| 2. | नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रकरणों में की गई कार्यवाही : क- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किये जाने के आदेश। ख- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में अधिवक्ता की नियुक्ति के आदेश जारी किये गये। | 05 02 |
| 3. | केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर में दायर प्रकरण में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये। | 04 |
| 4. | माध्यस्थम अधिकरण भोपाल में अधिवक्ता की नियुक्ति के आदेश : | 53 |
| 5. | माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर : क- अवमानना प्रकरणों में प्रतिरक्षण किये गये जाने हेतु अधिवक्ता नियुक्त किये गये। ख- जिन प्रकरणों में द्वितीय अपील, पुनरीक्षण, रिट याचिका एवं प्रस्तुत रिट अपील हेतु आदेश जारी किये गये। ग- जिन प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये (याचिकाएँ)। | 02 189 480 |
| 6. | कार्यालय कलेक्टर व जिलों से संबंधित मामलों जिनमें प्रशासकीय विभाग के माध्यम से प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु निर्देश दिये गये। | 173 |
| 7. | केवियट दायर करने के संबंध में आदेश जारी किये गये। | 02 |
| 8. | सूचनार्थ पत्र | 272 |
| | कुल योग | 1375 |

सभी प्रकरणों का निराकरण किया गया

आपराधिक शाखा

(अ) उच्चतम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही :-

| क्रमांक | कार्य का संक्षिप्त विवरण | निराकृत प्रकरणों / नस्तियों की संख्या |
|---------|--|---------------------------------------|
| 1. | मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष अनुमति याचिका प्रस्ताव पर परीक्षण किया गया। | 43 |
| 2. | मध्यप्रदेश शासन के विरुद्ध प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका/अपील प्रकरण में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये। | 421 |
| 3. | महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, उप महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर/ग्वालियर से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेशों जिन्हें नस्तिबद्ध किया जाना प्रस्तावित किया गया था। (रिपोर्ट प्रकरण) जो परीक्षण के उपरांत नस्तिबद्ध किये गये। | 34 |

(ब) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं खण्डपीठ ग्वालियर/इंदौर के समक्ष कार्यवाही :-

| क्रमांक | कार्य का संक्षिप्त विवरण | निराकृत प्रकरणों / नस्तियों की संख्या |
|---------|---|---------------------------------------|
| 1. | मध्यप्रदेश शासन की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा अपील/ दांडिक पुनरीक्षण प्रस्ताव पर परीक्षण कर आदेश जारी किये गये। | 1383 |
| 2. | मध्यप्रदेश शासन के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपराधिक अपील/पुनरीक्षण/रिट याचिका में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये। | 167 |
| 3. | मध्यप्रदेश शासन की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र एवं सूचनार्थ पत्रों पर की गई कार्यवाही। | 1570 |
| 4. | अन्य प्रपत्र एवं स्थाई अधिवक्ताओं की फीस पर की गई कार्यवाही। | 80 |
| | कुल संख्या | 3698 |

विभागाध्यक्ष कार्यालय-मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल

भाग-एक

विभागीय संरचना :-

| | | |
|---------------------------|---|---|
| अध्यक्ष | : | मान० न्यायमूर्ति श्री एम.के.मुदगल |
| सदस्यगण | : | (1) मान० श्री एस.के.पी.कुलकर्णी (न्यायिक) (2) मान० श्री एस.के.शर्मा (न्यायिक) (3) मान० श्री पी.के.सिन्हा (न्यायिक) (4) मान० श्री आर.के.व्यास (तकनीकी) (5) मान० श्री बी.पी.पटेल (तकनीकी) |
| रजिस्ट्रार | : | श्री अरविन्द प्रताप सिंह चौहान |
| प्रभारी डिप्टी रजिस्ट्रार | : | श्री मनीष दवे |

अधीनस्थ कार्यालय : निरंक

विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण : निरंक

विभाग के दायित्व : -

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी:-

म.प्र.माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम,1983 (अधिनियम क्रमांक 29/1983) 1 मार्च 1985 को प्रभावशील हुआ तथा उसी दिन अधिकरण का गठन हुआ। अधिनियम के अधीन विवाद से अभिप्रेत है रु. 50,000/- या उससे अधिक मूल्य के किसी दावे से संबंधित कोई ऐसा विवाद जो किसी संकर्म संविदा (वर्क्स कान्ट्रैक्ट) या उसके भाग के निष्पादन या अनिष्पादन से उद्भूत हुआ हो तथा जिनका एक पक्षकार राज्य सरकार अथवा पूर्णतः या अंशतः राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई लोक उपक्रम हो, का निराकरण किया जाता है। अधिकरण की दो खण्डपीठें, यथा-खण्डपीठ 'पी' तथा खण्डपीठ 'आई' मुख्यालय भोपाल में ही संचालित हैं। अधिनियम की धारा-13 के प्रावधानों के अन्तर्गत जब भी सुविधाजनक अथवा आवश्यक हो, माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अधिकरण की सर्किट बेंच राज्य के अन्दर अन्यत्र स्थान पर भी सुनवाई हेतु नियत की जाती हैं।

महत्वपूर्ण सांख्यिकी

| वर्ष | 31.12. 2020 को लभित निर्देश प्रकरणों की संख्या | वर्ष 2021 में पंजीकृत निर्देश प्रकरणों की संख्या | पुनर्स्थापित निर्देश प्रकरणों की संख्या | कुल निर्देश प्रकरणों की संख्या | वर्ष 2021 में निराकृत निर्देश प्रकरणों की संख्या | 31.12. 2020 को लभित विविध न्यायिक (MJC) प्रकरणों की संख्या | वर्ष 2021 में पंजीकृत विविध न्यायिक (MJC) प्रकरणों की संख्या | कुल विविध प्रकरणों (MJC) की संख्या | वर्ष 2021 में निराकृत विविध प्रकरणों (MJC) की संख्या | वर्ष 2021 में पंजीकृत प्रकरणों का वाद मूल्यांकन (रु.) | दावा/प्रतिदाव में शासन को प्राप्त कुल न्याया शुल्क (रु.) |
|------|--|--|---|--------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 2021 | 944 | 101 | 02 | 1047 | 88 | 70 | 44 | 114 | 51 | 175951157294/- | 5651679/- |

भाग-दो

वर्ष 2021-2022 का आय व्यय बजट (एक दृष्टि में)

| वर्ष | बजट आवंटन | व्यय | |
|---------|--------------------|--------------------|---|
| 2021-22 | रु. 6,13,40,000.00 | रु. 3,45,13,419.00 | आयोजनेत्तर (दिसम्बर, 2021 की स्थिति में) |

भाग-तीन

राज्य योजनाएँ तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

| | | |
|--|---|-------|
| (अ) राज्य योजनाएँ | - | निरंक |
| (ब) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ | - | निरंक |
| (स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएँ | - | निरंक |
| (द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएँ/परियोजनाएँ | - | निरंक |
| (इ) अन्य योजनाएँ- | - | निरंक |

भाग-चार

सामान्य प्रशासन विषय

(जॉच समितियों, किए गए अध्ययन आदि अंकित किये जाएँ) निरंक

भाग-पाँच

अभिनव योजना

(विभाग द्वारा कोई अभिनव योजना शुरू की गई हो अथवा की जाने वाली हो उसको दर्शाया जाए) निरंक

भाग-छः

(विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए) निरंक

भाग-सात

सारांश

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (क) के तहत सरकार का यह दायित्व है, कि वह यह सुनिश्चित करें कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय पाने के अवसर से वंचित न रह पाये। उसे समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराकर सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराई जायें। तदनुसार मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1997 के प्रावधानानुसार समाज के कमजोर वर्ग व आर्थिक रूप से गरीब असहाय, पीड़ित व्यक्तियों को समानता व समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराने के लिये निःशुल्क विधिक सेवा (विधिक सहायता/सलाह) उपलब्ध कराई जाती है। विधिक सहायता योजना के अंतर्गत संचालित एवं क्रियान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को लाभावित कराया जाकर उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक महोदय, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन में समाज के कमजोर वर्ग एवं गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता योजनांतर्गत (विधिक सेवा-सहायता/सलाह), लोक अदालत योजना, विधिक साक्षरता शिविर एवं अन्य योजनाएँ मध्यप्रदेश राज्य में संचालित की गई है, उक्त योजनाओं का प्रचार-प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा अन्य प्रचार माध्यमों से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया गया है तथा दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन कर आम जनता को कानूनी जानकारी प्रदान की गई है तथा लोगो को लाभावित कराया गया है। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार योजनाएँ/कार्यक्रम संचालित एवं क्रियान्वित हैं:-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनायें एवं कार्यक्रम

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता योजना एवं उसके अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है :-

(अ.) विधिक सेवायें-

1. विधिक सहायता/सलाह।
2. पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र।
3. जिला विधिक परामर्श केन्द्र।
4. मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता।
5. लीगल एड क्लीनिक।
6. महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई कार्यक्रम।
7. श्रमिकों के विरुद्ध अपराध-प्रकोष्ठ कार्यक्रम।
8. मीडियशन कार्यक्रम।

(ब.) लोक अदालत-

1. नेशनल लोक अदालत।
2. स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत।
3. लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत (धारा 22 बी) के अंतर्गत।
4. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लोक अदालत।
5. जेल लोक अदालत।
6. मोबाइल लोक अदालत।
7. विशेष लोक अदालत (जैसे गैस राहत, विद्युत, बी.एस.एन.एल., बैंक इत्यादि)
8. पारिवारिक महिला लोक अदालत।
9. प्ली-बारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण।

(स.) विधिक साक्षरता।

1. विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर।
2. लघु विधिक साक्षरता शिविर।
3. मनरेगा के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर।
4. विवाद विहीन ग्राम योजना।
5. प्रचार-प्रसार कार्यक्रम।

मध्यप्रदेश राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उसके अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन निम्नानुसार चार स्तरीय व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है :-

| | | |
|----|---------------------------------------|--------------------|
| 1- | मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण | राज्य स्तर |
| 2- | उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति | उच्च न्यायालय स्तर |
| 3- | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण | जिला स्तर |
| 4- | तहसील विधिक सेवा समिति | तहसील स्तर |

"योजनायें एवं कार्यक्रम"

(अ.) विधिक सेवायें-

(1) विधिक सहायता एवं सलाह :-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा समान्य वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब, असहाय, पीड़ित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उनके विरुद्ध चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता दी जाती है।

विधिक सहायता/सलाह कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है ?

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन ऐसा व्यक्ति विधिक सहायता/सलाह प्राप्त कर सकता है :-

- 1- जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है,
- 2- ऐसा व्यक्ति जो लोगों के दुर्व्यवहार से पीड़ित है या जिससे बेगार कराया जा रहा हो,
- 3- महिला, बालक हो,
- 4- ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ या असमर्थ है निर्योग्य है ।
निर्योग्य का तात्पर्य है :-

(क) अन्धापन, (ख) कमजोर दिखाई देना, (ग) जिसे कुष्ठरोग है, (घ) कम सुनाई देना, (ङ) जो चल फिर नहीं सकता, (च) जो दिमागी रूप से बीमार हो।

- 5- ऐसा व्यक्ति जो बहुविनाश, जातीय हिंसा या जातीय अत्याचार से सताया गया है, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, सूखा आदि से पीड़ित है,
- 6- ऐसा व्यक्ति जो औद्योगिक कर्मकार है (फैक्टरी, कम्पनी में काम करता है)
- 7- ऐसा व्यक्ति जो जेल में बंदी है,
- 8- ऐसा व्यक्ति जिसकी वर्षभर की आमदनी 2,00,000 /-(रुपये दो लाख) से ज्यादा नहीं है।

किस तरह की विधिक सहायता मिलती है :-

विधिक सहायता के पात्र व्यक्ति जिसका प्रकरण अदालत में चल रहा है या चलाना चाहता है उसे मामले में लगने वाली :- 1. कोर्ट फीस, 2. तलवाना, 3. टाईपिंग/फोटोकॉपी खर्च, 4. गवाह खर्च, 5. अनुवाद कराने में लगने वाला खर्च, 6. निर्णय/आदेश तथा अन्य कागजातों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का पूरा खर्च, 7. वकील फीस ।

उपरोक्त विधिक सेवा तहसील न्यायालय से लेकर जिला स्तर के सभी न्यायालयों/अधिकरणों, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में प्रदान कराई जाती है।

(2) पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना :-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना, 2001" विरचित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार के सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवाद जैसे पारिवारिक सम्पत्ति, भरण पोषण, बच्चों की सुरक्षा/देखभाल आदि विवादों का निपटारा किया जाता है। इस प्रकार के पारिवारिक विवादों का निदान सदभावपूर्ण वातावरण में आपसी समझौते के आधार पर जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्रों द्वारा कराया जाता है। इस संबंध में जिले में पदस्थ जिला विधिक सहायता अधिकारी को आवेदन दिया जा सकता है। इन केन्द्रों द्वारा कराया गया समझौता गुप्त रखा जाता है, जिससे परिवार के सम्मान में ठेस नहीं पहुँचती है।

(3) जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना :-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना, 2001 बनाई गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जिला विधिक परामर्श केन्द्र कार्यरत है। जिला विधिक परामर्श केन्द्र द्वारा सभी वर्ग के व्यक्तियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे व्यक्तियों को जो अशिक्षा व अज्ञानता के कारण अपने कर्तव्य व अधिकार नहीं जानते तथा अपने कानूनी एवं वैधानिक अधिकारों की जानकारी से वंचित रहते हैं या जिन्हें किसी विधिक परामर्श की आवश्यकता होती है उन्हें निःशुल्क विधिक परामर्श देकर उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है।

(4) मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना:-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना, 2001" बनाई गई है। यह योजना प्रत्येक जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित मजिस्ट्रेट न्यायालयों में निरूद्ध बंदियों को रिमाण्ड प्रकरणों में पैरवी करने एवं जमानत के लिए आवेदन देने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किया जाकर विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कोई भी व्यक्ति स्वतः या अपने रिश्तेदार द्वारा न्यायालय में बैठे मजिस्ट्रेट अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी को आवेदन देकर सहायता प्राप्त कर सकता है।

(5) लीगल क्लीनिक :-

यह क्लीनिक मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर एवं उसकी दोनों खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर एवं प्रदेश के समस्त जिला न्यायालयों में कार्यरत है, जिसमें निर्धारित स्थान पर प्रतिदिन कार्य दिवस में योग्य अभिभाषक बैठकर सामान्य वर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह देते हैं।

(6) महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई कार्यक्रम-

महिला एवं बच्चों से संबंधित समस्याओं का निदान कर उन्हें शीघ्र न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में "महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई" का गठन किया गया है। यह इकाई सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं बच्चों में उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों के संबंध में उन्हें जागरूक कर उनकी समस्याओं का निदान करती है।

(7) श्रमिकों के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ कार्यक्रम :-

श्रम, विधियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन, श्रमिक कामगारों की सुरक्षा, उन्हें निर्धारित मजदूरी दिलाने, महिला कामगारों के प्रति भेदभाव एवं उन्हें लैंगिक प्रताड़ना से रोकने तथा बच्चों को श्रमिक के रूप में कार्य कराने से रोकने के संबंध में एवं हितग्राही को न्याय दिलाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में "श्रमिकों के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ" का गठन किया गया है। कोई भी पीड़ित श्रमिक जिसके विरुद्ध अन्याय या अत्याचार हो रहा है उसे समान मजदूरी न देकर भेदभाव किया जा रहा है। वह न्याय प्राप्त करने एवं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये उक्त प्रकोष्ठ में जाकर आवेदन दे सकता है।

(8) मीडियशन कार्यक्रम:-

विवादों के वैकल्पिक निराकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकरणों में मध्यस्थता व आपसी सुलह समझौता के माध्यम से निराकरण कराने के लिये कार्यक्रम आयोजित कराना एवं इसके लिये न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, सामाजिक कार्यकर्तागण के गठित मीडियेटर्स दल को प्रशिक्षण देना।

(ब.) लोक अदालत योजना:-

लोगों को शीघ्र सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, आपसी समझौते के आधार पर विवादों के निराकरण के लिये उच्च न्यायालय, जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से लोक अदालतें दो प्रकार के प्रकरणों पर विचार करती हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।
- (2) ऐसे प्रकरण जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं (प्रीलिटिगेशन)
वर्तमान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निम्न प्रकार की लोक अदालतों का आयोजन कराया जा रहा है।

1. नेशनल लोक अदालत।
2. स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत।
3. लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत (धारा 22(बी) के अंतर्गत)।
4. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लोक अदालत।
5. जेल लोक अदालत।
6. मोबाइल/फील्ड लोक अदालत।
7. विशेष लोक अदालत (जैसे गैस राहत, विद्युत, बी.एस.एन.एल. बैंक इत्यादि)
8. पारिवारिक महिला लोक अदालत।
9. प्ली-बारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत निराकृत प्रकरण।

लोक अदालत के लाभ :-

- 1- पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है तथा दुश्मनी/वैमनस्यता समाप्त हो जाती है।
- 2- समय, पैसा एवं अनावश्यक मेहनत की बचत हो जाती है।
- 3- लोक अदालत में मामला निपट जाने पर मामले में लगी कोर्टफीस वापस हो जाती है।
- 4- लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण होने से लोक अदालत के निर्णय या आदेश/डिक्री/अवार्ड के विरुद्ध कोई अपील या रिवीजन नहीं होती।
- 5- मोटर दावा दुर्घटना एवं अन्य क्षतिपूर्ति प्रकरणों में मुआवजा राशि शीघ्र मिल जाती है।

(स.) विधिक साक्षरता।

(1). विधिक साक्षरता शिविर योजना :-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता स्कीम, 1999 तैयार की गई है जिसके अनुसार उच्च न्यायालय स्तर, जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर शहरी गंदी बस्तियों एवं सुदूर ग्रामीण अंचलों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है इन शिविरों में न्यायाधीशगण, अधिवक्ता, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य, अधिकारीगण, महिलायें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निशक्त व्यक्ति, विधि शिक्षक, विधि विद्यार्थियों के प्रतिनिधि रहते हैं। विधिक साक्षरता शिविरों में अन्य वर्गों के साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग के शोषित पीड़ित व्यक्तियों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान कर उनके मौलिक एवं वैधानिक अधिकारों तथा उनके हित संरक्षण में बनाये गये विभिन्न कानूनों एवं योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें विधिक रूप से जागरूक बनाया जाता है। छुआछूत, दहेज प्रथा, बंधुआ मजदूर, बाल विवाह आदि कुरीतियों एवं बुराईयों के साथ-साथ भ्रमण पोषण, उपभोक्ता फोरम आदि विषयक नुक्कड़ नाटक तैयार किये गये हैं, जिनका जेसीज क्लब, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, गैर सरकारी एवं सरकारी विभागों के सहयोग से मंचन कराया जाकर लोगों को विधिक जागरूक बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित विधिक सेवा (सहायता/सलाह), लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर आदि योजनाओं से संबंधित गीत संगीत, ऑडियो कैंसेट के माध्यम से जानकारी दी जाती है तथा पम्पलेट्स, पोस्टर, हैण्डबिल्स, लिट्रेचर आदि वितरित कर वृहद प्रचार प्रसार किया जाकर अन्य वर्गों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों को भी जागरूक बनाया जा रहा है।

(2). विवाद विहीन ग्राम योजना :-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000" विरचित की गई है, "विवाद विहीन ग्राम" का तात्पर्य ऐसे गांवों से है जिसमें उस गांव में रहने वाले व्यक्तियों में कोई विवाद न हो और यदि हो तो उसे आपसी सद्भाव, समझौते या लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र निपटा लिया गया हो। यह कार्य जिला प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में किया जाता है।

(3). प्रचार-प्रसार :-

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित एवं क्रियावित योजनाओं का प्रचार-प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से तथा समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाता है।

➤ वित्त वर्ष 2021-22 (जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) की भौतिक उपलब्धियाँ

(अ.) विधिक सेवायें-

1- विधिक सहायता/विधिक सलाह योजना :-

वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) कुल 41,181 प्रकरणों में व्यक्तियों को विधिक सहायता/विधिक सलाह योजना के माध्यम से लाभान्वित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के 15,923 अनुसूचित जनजाति के 10,925 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 14,233 के प्रकरण सम्मिलित है।

2- पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना :-

वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) "पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र" योजनांतर्गत कुल 717 प्रकरणों का निराकरण कराया गया है, जिसमें कुल लाभान्वित व्यक्ति 1841 जिसमें अनुसूचित जाति 496, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 437 एवं पिछड़ा 695 तथा सामान्य वर्ग के 213 प्रकरण सम्मिलित है।

3- जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना :-

वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना द्वारा कुल 1,737 प्रकरणों का निराकरण कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 549, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 623 तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के 1826 प्रकरण सम्मिलित है जिसमें कुल 2956 व्यक्तियों को लाभान्वित कराया गया है।

4- मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना :-

वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) "मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना" द्वारा कुल 2865 प्रकरणों में 3262 व्यक्तियों को रिमाण्ड/जमानत हेतु विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिसमें अनुसूचित जाति 1035, अनुसूचित जनजाति के 759 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 1468 व्यक्ति सम्मिलित है

5- लीगल एड क्लीनिक :-

वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) "लीगल एड क्लीनिक" द्वारा कुल 11,236 आवेदन पत्रों का निराकरण कराया गया। जिसमें अनुसूचित जाति 2,949, अनुसूचित जनजाति के 4,534 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 2,812 व्यक्ति सम्मिलित है। जिसमें कुल 48,728 व्यक्तियों को लाभान्वित कराया गया।

6-महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई :-

वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) "महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई" द्वारा कुल 432 प्रकरणों का निराकरण कराते हुए, 421 ब्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 107, अनुसूचित जनजाति के 61 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 253 ब्यक्ति सम्मिलित है ।

7-श्रमिकों के विरुद्ध अपराध-प्रकोष्ठ कार्यक्रम :-

वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) "श्रमिकों के विरुद्ध अपराध-प्रकोष्ठ कार्यक्रम" द्वारा कुल 67 प्रकरणों का निराकरण कराते हुए, 71 ब्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है।

8-मीडियशन कार्यक्रम :-

वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) मीडियशन के माध्यम से कुल 7072 प्रकरणों का निराकरण कराया गया। 06 सामुदायिक मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुस्लिम समाज के 16, मीणा समाज के 8 तथा क्षत्रीय समाज के 14, बंगाली समाज के 8, ब्राम्हण समाज के 13 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही बाल्मीक, कोरी, वंरवा, गुजराती, अग्रवाल, सिक्ख, गहोई एवं अहिरवार समाज के कुल 75 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

(ब.) लोक अदालतों की जानकारी-

1. **नेशनल लोक अदालत:-**वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रदेश में प्रत्येक तीन माह के अंतराल में सभी न्यायालयों में समस्त प्रकृति के प्रकरणों के निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया गया। जिसमें माह जुलाई दिनांक 10 जुलाई 2021, 10 सितंबर 2021, एवं 11 दिसंबर 2021 को प्रदेश में नेशनल लोक अदालतें आयोजित की गई है, उक्त नेशनल लोक अदालत में कुल 3,47,333 प्रकरणों का निराकरण कराया गया एवं राशि रू0 1,45,06,33,626/- के अवार्ड/डिक्री/मुआवजा/वसूली के आदेश पारित किए गए और कुल 13,12,782 पक्षकारों को लाभांवित कराया गया।

2. **विशेष लोक अदालत -** म.प्र. भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा दिनांक 11 दिसंबर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें 03 खण्डपीठ का गठन किया। जिसमें रखे गये कुल 63 प्रकरण में से 30 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें राशि रू. 35794973/- से कुल 30 व्यक्ति लाभान्वित हुये।

3. **स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत :-**वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) कुल 352 लोक अदालतें आयोजित की जाकर 7,476 प्रकरणों का निराकरण कराया गया है। उक्त निराकृत प्रकरणों में अनुसूचित जाति वर्ग के 5545 अनुसूचित जनजाति वर्ग के 3387 तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के 4325 प्रकरण सम्मिलित है।

4. लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत:- वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) कुल 834 लोक उपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत की बैठकें आयोजित की जाकर 633 प्रकरणों का निराकरण कराया गया। उक्त निराकृत प्रकरणों में अनुसूचित जाति वर्ग के 316 अनुसूचित जनजाति वर्ग के 332 तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के 320, प्रकरण सम्मिलित है।

5. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लोक अदालत:- वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जानकारी निरंक है।

6. जेल लोक अदालत:- वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) कुल 12 जेल लोक अदालतें आयोजित की गईं जिनमें कुल 19 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर लगभग 13 अभियुक्त को लाभान्वित कराया गया।

7. मोबाइल/चलित लोक अदालत:- वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) में सुदुरग्रामीण क्षेत्रों में प्रकरणों के त्वरित निराकरण कराये जाने के उद्देश्य से कुल 15 मोबाइल/चलित लोक अदालतें आयोजित की गईं। जिसमें 13 प्रकरणों का पक्षकारों की आपसी सहमति से निराकरण कराया जाकर 40 व्यक्तियों को लाभान्वित कराया गया।

8. प्ली-बारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत निराकृत प्रकरण:- वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) प्ली-बारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत 02 प्रकरणों का निराकरण कराया जाकर लगभग 04 व्यक्तियों को लाभान्वित कराया गया।

(स.) विधिक साक्षरता शिविर योजना।

1. विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर :- वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) कुल 10,268 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाकर 8,21,251 व्यक्तियों को लाभान्वित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 1,08,499 अनुसूचित जनजाति के 1,08,499 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 6,06,535 व्यक्ति सम्मिलित है। साथ ही अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1,14,17,712 व्यक्तियों को शिविर के माध्यम से लाभान्वित कराया गया।

2. लघु विधिक साक्षरता शिविर:- वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) कुल 452 लघु विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाकर 34,603 व्यक्तियों को लाभान्वित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति 4106, अनुसूचित जनजाति के 4409 एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के 26088 व्यक्ति सम्मिलित है।

3. मनरेगा के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर:- वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) कुल 263 मनरेगा के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाकर 27,926 व्यक्तियों को लाभान्वित कराया गया है।

विवाद विहीन ग्राम योजना :- वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) विवाद विहीन ग्राम योजनांतर्गत ग्राम योजनांतर्गत ग्राम जबलपुर ग्राम चरगांव, पिजांरा अमरवाडा छिदंवाडा, मलपठार (वनग्राम) ग्राम पंचायत कुर्सीपार मंडला ग्राम को विवाद विहीन ग्राम घोषित किया गया है।

4. **प्रचार-प्रसार कार्यक्रम :-** वर्ष 2021 (माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये बुकलेट, पेम्पलेट, ब्रूचर्स, समाचार पत्रों के माध्यम से तथा अन्य माध्यमों से प्रादेशिक एवं जिला तथा तहसील स्तर तक प्रचार-प्रसार कराया गया है, जिसके कारण से जनसामान्य एवं दूर-दराज ग्रामीण अंचलों के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित कराया गया है।

(द.) स्थापित लीगल एड क्लीनिक

वर्तमान में कुल 1090 लीगल एड क्लीनिक्स स्थापित एवं कार्यरत है और वर्तमान में कुल प्रशिक्षित 2,454 पैरालीगल वॉलेन्टियर्स में से 1,378 पैरालीगल वॉलेन्टियर्स द्वारा लीगल एड क्लीनिक्स, फ्रन्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, जेल/संप्रेक्षण गृह, जे.जे.बी/चाइल्ड वेलफेयर सेंटर तथा अन्य स्थानों पर सेवाएँ दी जा रही है।

वित्त वर्ष 2021-2022 (अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक) की वित्तीय उपलब्धियाँ:-

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर, द्वारा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों को आवंटित राशि में से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों द्वारा राशि रुपये 20,79,150/- व्यय किया गया।

भविष्य की योजनाएं

केन्द्र प्रवर्तित योजना से प्राप्त राशि में से नवीन न्यायालय भवनों, अतिरिक्त न्यायालय कक्षों तथा न्यायाधीशों के आवासगृहों का निर्माण किया जाना तथा न्यायिक क्षेत्र के सुदृढीकरण हेतु 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना।